शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/5वीं, 8वीं/2021–22/ 1342 भोपाल, दिनांक : 21.02.22

समय–सीमा

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले, म.प्र.

2. सहा. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग,
समस्त जिले (म.प्र.)

3. प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त, म.प्र.

4. जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले, (म.प्र.)

विषय– कक्षा 5 वीं व 8 वीं वार्षिक परीक्षा निर्देश वर्ष 2021–22

संदर्भ– 1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन हेतु म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2019।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 5353 दिनांक 29.09.2021
3. 2021राशिके का पत्र क्र/पा.पु./2021/2114, भोपाल दिनांक 16.11.2021

विषयांतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्तमान अकादमिक सत्र 2021–22 से कक्षा 5 एवं 8 का वार्षिक मूल्यांकन निम्नानुसार होगा–

1. आर.टी.ई. एक्ट 2019 संशोधन एवं गजट नोटिफिकेशन के उपरांत प्रदेश में कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा "वार्षिक परीक्षा" के रूप में संबोधित की जाएगी। **यह परीक्षा 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 की अवधि में संलग्न समय–सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी।** इसे बोर्ड परीक्षा नहीं कहा जाएगा।

2. अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 एवं 8 की नियमित परीक्षा राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संपादित कराई जाएगी।

3. परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह सभी विषयों में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करता है।

4. **पुनः परीक्षा का आयोजन–**
   - परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक यदि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड (सभी विषयों में) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस बालक को विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर उसे उन विषयों में पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

- पुनःपरीक्षा के मूल्यांकन के उपरांत भी यदि बालक सभी विषयों में अथवा किसी भी विषय में अर्हताकारी अंक/ग्रेड प्राप्त करने में सफल नहीं होता है तो ऐसे बालक को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जायेगा। अनुत्तीर्ण बालक को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी।
- स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

5. **प्रश्नपत्र एवं परीक्षा संबंधी अन्य सामग्री की व्यवस्था (मुख्य एवं पुनः परीक्षा हेतु)–** कक्षा 5 व 8 हेतु प्रश्नपत्र का स्वरूप, प्रश्नपत्र सह उत्तरपुस्तिका होगा।
    - प्रश्नपत्र व परीक्षा की अन्य सामग्री की सॉफ्टकापी राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 अनुसार स्वीकृत दरों के आधार पर परीक्षा सामग्री का मुद्रण कराया जाएगा और परीक्षा संबंधी समस्त सामग्री जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को उपलब्ध कराई जाएगी।

6. **मूल्यांकन व्यवस्था–**
    - विकासखण्ड अंतर्गत अन्य संकुल केन्द्र को मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाएगा। संबंधित विद्यालय के प्राचार्य मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष रहेंगे।
    - उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन बच्चे की अध्ययनरत शाला के शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा।
    - कक्षा 5 व 8 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 होगा, जिसमें 60 अंक का लिखित प्रश्नपत्र एवं 40 अंक का होमबेस्ड प्रोजेक्ट कार्य होगा।
    - बच्चे को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय की लिखित (बाह्य परीक्षा) एवं प्रोजेक्ट (आंतरिक परीक्षा) में पृथक–पृथक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
    - मूल्यांकन उपरांत वार्षिक परिणाम परीक्षाफल पत्रक का अनुमोदन मूल्यांकन केन्द्र प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराने के उपरांत ही परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।

7. **अशासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त शालाओं हेतु –**
    - अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के लिए भी उपरोक्त आर.टी.ई. संशोधन अनुसार विनिर्दिष्ट कार्यवाही लागू होगी। अशासकीय शालाओं में वार्षिक परीक्षा एवं पुनः परीक्षा का आयोजन एवं प्रबंधन अशासकीय विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।
    - अशासकीय विद्यालयों में 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा उपरांत रिजल्ट शीट का अनुमोदन संकुल केन्द्र प्राचार्य एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत 22 अप्रैल 2022 को परीक्षाफल घोषित किया जाएगा तथा यही व्यवस्था पुनःपरीक्षा में भी लागू होगी।

8. **पाठ्यक्रम सीमा–** संदर्भित पत्र क्र. 3 अनुसार कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम को पूर्ण पुनर्वियोजित कर 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट वर्क में विभाजित किया गया है। इसी पुनर्वियोजित पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

जिला परियोजना समन्वयक इस बारे में प्रेस रिलीज जारी कराएं एवं सर्वसंबंधितों को अवगत कराएं। निर्देशों की एक प्रति समस्त शासकीय/अशासकीय शालाओं को अविलम्ब उपलब्ध कराएं एवं निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा एवं पुनःपरीक्षा तथा परिणाम घोषित करने संबंधी निर्देशों का पालन अशासकीय विद्यालयों में भी कराना सुनिश्चित किया जाए। (कक्षा 5 वीं व 8 वीं के वार्षिक मूल्यांकन संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक् से भेजे जा रहे हैं।)

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / रा.शि.के. / मूल्यांकन / 5वीं, 8वीं / 2021–22 / 1343 भोपाल, दिनांक : 21.02.22

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.)
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
10. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल।
11. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
12. सचिव, मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल।
14. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
15. समस्त प्राचार्य, संकुल केन्द्र (हाईस्कूल / हायरसेकण्डरी स्कूल), मध्यप्रदेश।
16. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / बीआरसी, मध्यप्रदेश।
17. म.प्र. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

21/02/2022

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

नियमित

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल
कक्षा 5 व 8 वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम (TIME TABLE) वर्ष 2021–22

समयः कक्षा–5: सुबह 9:00 से 11:30 तक
कक्षा–8: सुबह 9:00 से 11:30 तक

कक्षा	21.03.22	1.04.22	4.04.22	5.04.22	6.04.22	7.04.22	8.04.22	9.04.22
दिन	सोमवार	शुक्रवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
5	*प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषयों की बुकलेट बच्चों को प्रदाय करना व विषय शिक्षक द्वारा पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदाय करना	लिखित प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि	लिखित सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	लिखित द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	लिखित गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	लिखित अतिरिक्त विषय– सामान्य उर्दू / मराठी आदि	लिखित पर्यावरण अध्ययन	–
8		लिखित प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि (सहायक वाचन सहित)	लिखित सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	लिखित विज्ञान	लिखित गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	लिखित तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / मलयालम आदि भाषाएं / चित्रकला मूक–बधिरों हेतु	लिखित सामाजिक विज्ञान	लिखित द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य

नोट– निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय / लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल